

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट & www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/18/ 7774-7806

दिनांक :- 01-02-2018

आयुक्त, नगर निगम-भरतपुर।

आयुक्त नगर परिषद अलवर- मिवाडी, बारां, करौली, झालावाड़, भीनमाल, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, मकराना।

अधिकांश अधिकारी नगर पालिका -किशनगढ़बास, खेतड़ी, बांदीकुई, मुकुंदगढ़, चिडावा, कैथून, राजगढ़ (अलवर), बयाना, भुसावर, हिंड़ौन, राजाखेड़ा, डीग, कामां, रूपबास, रावतभाटा, आबू रोड़, माउंट आबू, मालपुरा, आसीन्द, जहाजपुर, आमेट, देवगढ़ कुम्हेर।

विषय:- नगरीय निकायों को 15 फरवरी 2018 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त किये जाने के संबंध में।

जैसा की आपको विदित है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर निकायों को दिसम्बर 2017 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाकर समस्त सूचनाएं स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। इसी प्रकार ठोस कचरा प्रबंधन हेतु घर-घर कचरा संग्रहण कर उसका परिवहन सुनिश्चित करते हुये कचरा प्रोसेसिंग की सूचनाएं भी स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) पोर्टल पर अपलोड की जानी है। समयबद्ध कार्य योजना तैयार करते हुये निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपको पूर्व में बार-बार निर्देशित किया जाता रहा है। उक्त संबंध में आपके नगर निकायों की प्रगति धीमी पाई गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने नगर निकाय को 10 फरवरी 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कर 15 फरवरी तक समस्त सूचनाएं स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/18/ 7807-7819

दिनांक :- 01-02-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निदेशक (स्वच्छता)।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता